

वन विभाग हरियाणा सरकार
कार्यालय: उप वन संरक्षक, पलवल
भूमिरी रजवाह, निकट जवाहर नगर, कैम्प पलवल-121102
दूरभाष नं० 01275-248978 e-mail: dfopalwal@gmail.com

क्रमांक

दिनांक

सेवा में

Executive Engineer,
Public Health Engineering, Division No. 1
Nuh.
e-mail ID: eeplnuh@gmail.com

विषय:

Diversion of 3.627 ha. (3.009 ha. in Nuh Division and 0.618 Ha. in Palw Division) infavour of executive Engineer, PHED, No.1, Nuh for laying Water supply Pipe Line under Forest Division & District, Nuh & Palwal, Haryana.
Online No. FP/HR/Water/35225/2018

संदर्भ:

क्षेत्रीय अधिकारी IRO, MoEF and CC, Chandigarh का मिशिल सं० 9-HRB004/2020-CHA दिनांक 23.08.2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको लिखा जाता है कि आप विषयांकित प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाईट www.paryvesh.nic.in के माध्यम से Challan Generate कर राशि जमा करवायें तथा जमा की गई राशि को रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

Demand for depositing of CA. and other Charges for the subject proposal are as under:-

1.	NPV Charge	-	548166/-
2.	Compensatory Afforestation Charge	-	2712448/-
3.	Soil & Moisture Charge	-	2348052/-
4.	Supervisory Charge	-	271245/-
5.	Exigency Charge	-	188568/-
6.	Felling Charge	-	48000/-
7.	Additional Compensatory Afforestation	-	157700/-
8.	Additional Charges	-	0/-
	Penalty for Violation	-	0/-

Total

6474179/-

— 5/2/21 —
उप वन संरक्षक,
पलवल।

पू० क्रमांक 4808

दिनांक 10.01.2022

एक प्रति वन मण्डल अधिकारी, नूह को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 6057 दि 08.02.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

— 10/1/22 —
उप वन संरक्षक,
पलवल।

The Executive Engineer,
P.H. Engg. Division No. 1 Nuh

01201-274701

प्रमाणक:- 913

दिनांक:- 7-1-2022

Diversion of 3.627 ha (3.009 ha, Mewat division & 0.618 Palwal Division) of forest land for favour of Executive Engineer, P.H. Engg. Division No. 1, Nuh for laying of DI 900 & 600 MM/DDI water supply pipe line for 80 No. of village of firozpur Jhrka and Nagina Block in distt. mewat and Hodal Block in palwal Distt. under NABARD Scheme. (File No. FP/HR/Water/35225/2018)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ File No. 9-HRB004/2020-CHA दिनांक 23.08.2021 के निरन्तर में।

उपरोक्त विषय के संबंध में आपको लिखा जाता है कि संदर्भित पत्र द्वारा जलवायु की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके तहत आपको C.A Scheme के अनुसार जलवायु परियोजना के निर्धारित प्रयोग में भरकर भेजी जा रही है, जिसके आप जलवायु परियोजना मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से कापेटिंग की जा रही है। इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त संदर्भित पत्र में अंकित क0स0 10 XI पर जिलाधीश की ओर से जारी अधिनियम 2006 का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करें।

Sensory Afforestation :	9490386
Compensatory Afforestation :	640262
Compensatory Afforestation :	0
Treatment Area Treatment (SMC) :	3323906
Zone :	0
Length of Pit cum trench :	372852
Installation of Tubewell with pipe/Fitting underground etc.	1500000
Present Value (NPV) :	2668983
Other charges (if any) :	0
Charges	61368
Charges 1 (if any) :	Plants Damage Charges 0
Charges 2 (if any) :	10% Charge of CA 949038
Charges 3 (if any) :	Exigency Charges 3% 570204
	19576999

यह प्रमाण-पत्र
नूह/मैवाट फॉरेस्ट ऑफिस
P.H.

914-15 दिनांक:- 7-1-2022

निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला।
संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम।

यह प्रमाण-पत्र
नूह/मैवाट फॉरेस्ट ऑफिस
P.H.